



# दिल्ली विकास प्राधिकरण



## सार्वजनिक सूचना

### अभी चल रही ऑनलाइन आवासीय योजना 2019

डीडीए फ्लैटों के आबंटन हेतु फ्री होल्ड आधार पर  
(आवासीय योजना-2017 के फ्लैटों में से)  
पहले-आओ-पहले-पाओ आधार पर)

डीडीए ने लोकनायकपुरम, सेक्टर -34 एवं 35 रोहिणी, सिरसपुर, रामगढ़ कॉलोनी, सेक्टर -4, रोहिणी एवं सेक्टर- जी-2/जी-8 नरेला में 'पहले आओ-पहले पाओ' आधार पर फ्री-होल्ड आधार पर फ्लैटों के आबंटन (आवासीय योजना -2017 की पुरानी इन्वेन्ट्री) के लिए दिनांक 18.01.2019 को ऑनलाइन आवासीय योजना -2019 शुरू की, जिसमें भुगतान के लिए 90 दिनों का समय दिया गया और उसके बाद बिना किसी ब्याज राशि के 45 दिनों तक इसकी समय-सीमा को बढ़ाया गया। उपर्युक्त ऑनलाइन योजना-2019 के पंजीकृत व्यक्तियों को दिनांक 21.10.2019 तक रु. 50,000/- की राशि जमा करने और दिनांक 21.01.2020 तक बिना किसी ब्याज राशि के शेष राशि जमा करने के लिए अंतिम अवसर भी दिया गया। उपर्युक्त ऑनलाइन योजना के कुछ पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा मांग राशि के भुगतान के लिए समय-सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर पंजीकृत व्यक्तियों के लिए बिना किसी ब्याज राशि के दिनांक **31.03.2020** तक निर्धारित मांग राशि को जमा करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाने तथा राशि जमा करने का एक और अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

कृपया  Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

“कृपया डीडीए की वेबसाइट देखें- [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) या टोल फ्री नम्बर डायल करें 1800-110332”